

समाहरणालय, मधेपुरा।

(सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

पत्रांक-१९५...../सा०सु०को०,

अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना का पत्रांक- 1071/ आ० नि० को० दिनांक- 27/09/2019 के आलोक में डॉ० शिवाजी कुमार, राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना का मधेपुरा जिला में दिव्यांगजनों के हितार्थ आयोजित चलंत न्यायालय, (लोक अदालत) व अन्य से संबंधित भ्रमण कार्यक्रम की विवरणी :-

क्र०	तिथि	समय सारणी	कार्यक्रम	स्थान	नोडल पदाधिकारी
1	15.10.2019	10:00 AM से 03:00 PM	जिला कें विभिन्न प्रखंडों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 की धारा 72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखंड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडबोकेसी समीक्षात्मक बैठक	प्रखंड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सा०सु०को०/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण को०, मधेपुरा।
		04:00 PM से	प्रेस कॉन्फेन्स (इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मिडिया के साथ) इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मिडिया के सभी पत्रकार	समाहरणालय सभागार	जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा।
2	16.10.2019	7:00 AM से 10:00 बजे PM	जिला कें विभिन्न प्रखंडों में दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम 2016 की धारा 72 अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखंड दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडबोकेसी समीक्षात्मक बैठक	प्रखंड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सा०सु०को०/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण को०, मधेपुरा।
		10:00 AM से 01:00 PM बजे तक	विभिन्न विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक (दिव्यांगजनों की स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा) (1) उप विकास आयुक्त, मधेपुरा। (2) जिला सचिव विधिक सेवा प्राधिकार, मधेपुरा। (3) उप समाहर्ता प्रभारी बैंकिंग, मधेपुरा। (4) उप पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा। (5) अपर समाहर्ता, मधेपुरा। (6) अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज। (7) सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला मधेपुरा। (8) असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा। (9) श्रम अधीक्षक, मधेपुरा। (10) उप समाहर्ता जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मधेपुरा। (11) जिला वन एवं पर्यावरण पदाधिकारी, मधेपुरा। (12) जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा। (13) निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण मधेपुरा।	समाहरणालय सभागार	सहायक निदेशक, सा०सु०को०/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण को०, मधेपुरा।

		(14) जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, मधेपुरा। (15) जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा। (16) कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमण्डल, भवन प्रमण्डल जिला मधेपुरा। (17) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान), मधेपुरा। (18) जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा। (19) जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा। (20) सहायक, निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा। (21) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा। (22) जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा। (23) जिला अभियंता जिला परिषद, मधेपुरा। (24) जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा। (25) जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा। (26) जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी, मधेपुरा। 27) जिला खेल-कूद पदाधिकारी, मधेपुरा। (28) जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा/ अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज। (29) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद मधेपुरा / नगर पंचायत, मुरलीगंज। (30) जिला लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण मधेपुरा। (31) कारा अधीक्षक, मधेपुरा। (32) जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा। (33) भूमि सुधार उप समाहर्ता मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज। (34) जिला पंचायतराज पदाधिकारी, मधेपुरा। (35) सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई मधेपुरा। (36) प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक, मधेपुरा। (37) जिला प्रबंधक जिविका मधेपुरा। (38) बुनियाद केन्द्र, मधेपुरा। (39) जिला हेड ग्राहक सेवा केन्द्र (CSC)		
	01:00 PM से 02:00 PM बजे तक	अपर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक एवं जिले के प्रमुख थाना प्रभारी विभिन्न पदाधिकारी, के साथ बैठक।	समाहरणालय सभागार	इस बैठक के आयोजन में पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से नोडल पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेंगे साथ सभी संबंधित को बैठक में

					भाग लेने हेतु अपने स्तर से निदेशित करेंगे।
3		02:00 PM से 03:00 PM बजे तक	विभिन्न कॉलेज / कोचिंग संस्थान एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के पदाधिकारियों के साथ बैठक उपस्थिति (1) जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा। (2) प्राधानाचार्य संबंधित जिला स्थिति सभी महाविद्यालय मधेपुरा। (3) सभी आईटीआई के प्राचार्य मधेपुरा। (4) प्राधानाचार्य पोलटेक्निक कॉलेज मधेपुरा। (5) डी० आर० सी० सी० जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र मधेपुरा। (6) कोचिंग संस्थान नोट :- पिछले तीन वर्षों के दिव्यांगजनों के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा लेकर उपस्थित रहेंगे।	विश्वविद्यालय सभागार मधेपुरा। (प्रति, कुलपति बी०एन०मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा से टेलिफोनिक वार्ताअनुसार)	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा।
		03:00 PM से 04:00 PM बजे तक	लीड बैंक के साथ स्थित सभी बैंक के प्रतिनिधि के साथ बैठक (1) जिला बैंकिंग उप समाहर्ता (LDM) बैंकिंग मधेपुरा। (2) जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक मधेपुरा। (3) जिला अन्तर्गत सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक / (नोडल) पिछले 3 वर्ष में दिव्यांगजनों के लिए बैंकों द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा लेकर उपस्थित रहेंगे।	समाहरणालय सभागार मधेपुरा।	उप समाहर्ता प्रभारी (LDM) SDC बैंकिंग मधेपुरा।
		04:00 PM से 04:30 PM बजे तक	राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 की धारा 13 (2) के तहत ऑटिजम बौद्धिक दिव्यांग सेरेबल पॉल्सी एवं बहु दिव्यांग के पुर्नवास की व्यवस्था हेतु जिला स्तरीय लोकल लेवल कमिटी की बैठक दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक	समाहरणालय सभागार मधेपुरा।	सहायक निदेशक, सा०सु०को०/ दिव्यांगजन सशक्तिकरण को० मधेपुरा
		04:30PM से 05:30 PM बजे तक	रेलवे स्टेशन बस स्टैन्ड एवं मॉल का निरीक्षण (1) स्टेशन अधीक्षक / उपाधीक्षक, मधेपुरा (2) जिला उद्योग पदाधिकारी, मधेपुरा। (3) नगर आयुक्त / नगर परिषद एवं सदर, मधेपुरा। नोट :- पिछले तीन वर्षों के दिव्यांगजनों के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा लेकर उपस्थित रहेंगे।	रेलवे स्टेशन बस स्टैन्ड एवं मॉल आदि जगहों पर	नगर आयुक्त मधेपुरा/ अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद मधेपुरा
4	17.10.2019	07:00 AM से 10:00 AM बजे तक	जिला के विभिन्न प्रखंडों में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 72 के अन्तर्गत पंचायत दिव्यांगजन समूह एवं प्रखंड	प्रखंड मुख्यालय	सहायक निदेशक, सा०सु० को०/ दिव्यांगजन

			दिव्यांगजन समूह बनाने हेतु तथा इनके साथ एडभोकेसी/ समीक्षात्मक बैठक		सशक्तिकरण को० मधेपुरा।
	11:00 AM से 02:00 PM बजे तक	(1) कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/ नगर निगम मधेपुरा। (2) नगर परिषद जिला अन्तर्गत सभी पार्षद मधेपुरा। (3) प्रखंडों के प्रमुख के साथ बैठक, मधेपुरा। (4) प्रमुख पंचायत प्रतिनिधियों के साथ। (5) दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाले सभी एन० जी० ओ० एस० के प्रतिनिधि। नोट :- पिछले तीन वर्षों के दिव्यांगजनों के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा लेकर उपस्थित रहेंगे।	जिला परिषद भवन/ नगर परिषद समाहरणालय सभागार मधेपुरा।	उप विकास आयुक्त मधेपुरा जिला पंचायतीराज पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद संयुक्त रूप से	
	02:00 PM से 03:00 PM बजे तक	जिला शिक्षा अधिकारी, जिला तथा प्रखंड स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राईवेट स्कूल के प्राधानाध्यापक के साथ एडभोकसी बैठक (1) जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा। (2) कार्यक्रम पदाधिकारियों, शिक्षा मधेपुरा। (3) प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, मधेपुरा। (4) प्राईवेट विद्यालयों के निदेशक, प्रधानाध्यापक / प्राचार्य मधेपुरा। नोट :- पिछले तीन वर्षों के दिव्यांगजनों के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा लेकर उपस्थित रहेंगे।	DRCC मधेपुरा।	जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।	
	03:00 PM से 04:00 PM बजे तक	सदर अस्पताल का निरीक्षण एवं UDID की तैयारी / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, एवं प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रमुख चिकित्सकों / जिला में दिव्यांगता प्रमाणीकरण के सदस्य (बोर्ड मेम्बर) तथा प्रपत्रों एवं रजिस्टर मेन्टन हेतु पी० एच० सी० स्तर के कर्लक/सहायक के साथ बैठक नोट :- पिछले तीन वर्षों के दिव्यांगजनों के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा लेकर उपस्थित रहेंगे।	सदर अस्पताल मधेपुरा।	एस०डी०सी० स्वास्थ्य सेवा असैनिक शल्य चिकित्सक पदाधिकारी-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	
	04:00 PM से 05:00 PM बजे तक	जिला आई० सी० डी० एस० के प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा सी० डी० पी० ओ० एवं महिला सुपरवाईजर्स के साथ बैठक एवं स्थानीय सेविका, विकास मित्र, न्याय मित्र, समावेसी शिक्षकों एवं बुनियाद केन्द्र के कर्मचारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी०एल०भी० के भोलेन्टीयर्स के साथ चलन्त न्यायलय की तैयारी हेतु बैठक नोट :- पिछले तीन वर्षों के दिव्यांगजनों के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा लेकर उपस्थित रहेंगे।	चलन्त न्यायालय का आयोजन स्थल पर	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० मधेपुरा/ जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार /जिला पंचायतीराज पदाधिकारी,	

			रहेंगे।		मधेपुरा/जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा।
5	18.10.2019	08:00 AM से 07:00 PM बजे तक (अंतिम निष्पादन तक)	दिव्यांगजनों के परिवारों की सुनवाई एवं चलन्त न्यायालय (लोक अदालत)		जिला पदाधिकारी, मधेपुरा उप विकास आयुक्त, मधेपुरा सहायक, निदेशक सा0सु0 को0 / दिव्यांगजन सशक्तिकरण को0, मधेपुरा।

1. जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा दिनांक- 15/10/2019 को राज्य आयुक्त निःशक्तता के साथ समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिलान्तर्गत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के प्रतिनिधि को भाग लेने हेतु अनुरोध-पत्र अपने स्तर से निर्गत करेंगे तथा अपनी उपस्थिति में नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्पन्न करना सुनिश्चित करेंगे।
2. दिनांक- 16/10/2019 को 10:00 बजे से 01:00 बजे तक जिला सभागार, मधेपुरा में आयोजित समीक्षात्मक बैठक हेतु सभी संबंधित पदाधिकारी अपने विभागीय वांछित प्रतिवेदन (अपर आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना का पत्रांक 1071 /आ0 नि0 को0 दिनांक- 27/09/2019 की छाया प्रति संलग्न के अनुरूप) तैयार कर जिला सामाजिक, सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को दिनांक- 13/10/2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ बैठक में भी भाग लेंगे।
3. दिनांक- 16/10/2019 को 01:00 बजे से 2:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा अपने स्तर नोडल पदाधिकारी, नामित करेंगे तथा सभी पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज एवं जिला प्रमुख थानों के थाना प्रभारी को अपने स्तर से बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित करेंगे।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा दिनांक- 16/10/2019 को 2:00 बजे से 3:00 बजे तक आयोजित बैठक में नोडल पदाधिकारी, के रूप में सुचारु रूप से बैठक सम्पन्न करायेंगे।
5. जिला बैंकिंग उप समाहर्ता मधेपुरा दिनांक- 16/10/2019 को 3:00 बजे से 4:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा से समन्वय स्थापित कर सभी बैंको के शाखा प्रबंधक, की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु बैठक में भाग लेने के लिए उन्हें अलग से पत्र भी निर्गत किया जाय।
6. जिला उद्योग पदाधिकारी, मधेपुरा दिनांक - 16/10/2019 को 4:00 बजे से 5:00 बजे तक उनके निरीक्षण के दौरान उनके साथ भ्रमणशील रहेंगे। उनसे निदेश प्राप्त कर उनके निरीक्षण में आवश्यक सहयोग देंगे।
7. असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा निर्धारित तिथि को ससमय सदर अस्पताल, मधेपुरा के निरीक्षण हेतु आवश्यक तैयारी पूर्व से पूर्ण कर लेंगे। साथ ही निरीक्षण में अपने स्तर से आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।
8. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मधेपुरा दिनांक- 17/10/2019 को 11:00 बजे से 2:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु अपने स्तर से सभी प्रखंड प्रमुख को सूचना उपलब्ध करायेंगे। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा अपने स्तर से सभी वार्ड पार्षद मधेपुरा जिला को बैठक में भाग लेने हेतु अनुरोध-पत्र निर्गत करेंगे।
9. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा दिनांक- 17/10/2019 को 2:00 बजे से 3:00 बजे तक आयोजित बैठक को नोडल पदाधिकारी के रूप में सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से जिला एवं ब्लॉक स्तर के प्रमुख शिक्षा अधिकारी तथा प्राइवेट स्कूल के प्रधानाध्यापक / प्राचार्य को बैठक में भाग लेने हेतु सूचित करेंगे।
10. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मधेपुरा दिनांक- 17/10/2019 को 3: 00 बजे से 4:00 बजे तक आयोजित बैठक हेतु अपने स्तर से भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मधेपुरा जिला को भाग लेने हेतु निदेश देंगे। साथ ही नोडल पदाधिकारी के रूप बैठक सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।

11. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा दिनांक- 17/10/2019 को 4:00 बजे से 5:00 तक आयोजित बैठक भाग लेने हेतु सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सभी ऑगनवाड़ी पर्यवेक्षिका का अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे। तथा बैठक में उनकी उपस्थिति भी सुनिश्चित करेंगे।
12. जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र स्वयं अपने सभी कर्मियों के साथ दिनांक- 17/10/2019 को 4:00 बजे से 5:00 बजे तक चलंत न्यायालय के आयोजन स्थल पर उपस्थित रहेंगे।
13. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मधेपुरा से अनुरोध है कि स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना सहयोग प्रदान करेंगे। राज्य आयुक्त, निःशक्तता ने टेलीफोनिक वर्ता के क्रम में इच्छा व्यक्त की है, कि वे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 धारा 84 के अन्तर्गत बिहार में गठित दिव्यांगजनों के लिए विशेष न्यायालय के संबंध में जिला सत्र न्यायाधीश एवं अन्य लोगों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहते हैं। इस हेतु समूचित सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही दिनांक- 17/10/2019 को 4:00 बजे से 5:00 बजे तक पी0एल0भी0 के भोलेनटीयर को आयोजित बैठक में भाग लेने हेतु निदेश देंगे।

उपरोक्त के अलावे जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निम्न प्रकार से कर्तव्य निर्धारित किये जाते हैं:-

1. नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा :- भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित अवधि में जिला अतिथि गृह मधेपुरा में उनके आवासन एवं भोजनादि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
2. स्थापना उप समाहर्ता मधेपुरा :-

(क) राज्य आयुक्त निःशक्तता दिनांक- 15/10/2019 से 18/10/2019 तक जिला अतिथि गृह, मधेपुरा में रहेंगे।

अतः 24 घंटे उनके साथ एक कार्यालय परिचारी उपस्थिति अनिवार्य है। अतः स्थापना उप समाहर्ता के द्वारा तीन सिफ्टों में कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति दिनांक- 15/10/2019 से 18/10/2019 तक के लिए की जायेगी।

(ख) इसके अलावे जिला अतिथि गृह मधेपुरा में दिनांक- 15/10/2019 से 18/10/2019 तक एक लिपिक, एक कार्यापालक सहायक एवं एक कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति कार्यालय अवधि में की जायेगी, जिनके द्वारा राज्य आयुक्त निःशक्तता के निदेशानुसार प्रतिवेदन आदि का संग्रहण किया जायेगा।

(ग) दिनांक- 17/10/2019 को चलंत न्यायालय में एक वरीय लिपिक, कम्प्यूटर एवं प्रिटर सहित कुल 06 / कार्यापालक सहायक (डिक्टेसन प्राप्त करने एवं आदेश निर्गत करने हेतु) एवं तीन कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। जिनके द्वारा चलंत न्यायालय का कार्य में सहयोग किया जायेगा।

राज्य आयुक्त निःशक्तता के लाईजेनिंग पदाधिकारी के रूप में श्री मनोज कुमार, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, शंकरपुर मधेपुरा (मो0-9284836102) को राज्य आयुक्त, बिहार के मधेपुरा जिला आगमन से उनके प्रस्थान करने तक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति किया जाता है।

अनुलग्नक:- अपर आयुक्त, निःशक्तता बिहार पटना के पत्रांक- 1071 / आ0 नि0 को0 दिनांक- 27/09/2019 की छाया प्रति संलग्न।

3. प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि चलंत न्यायालय में विधि व्यवस्था हेतु संयुक्त आदेश निर्गत करने की व्यवस्था की जाय।

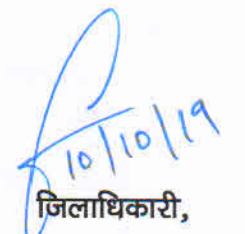
नोट:- मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी कार्यालयों प्रधान चलंत न्यायालय की तिथि को ससमय चलंत न्यायालय में उपस्थित रहेंगे एवं प्राप्त होने वाले शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

10/10/19
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक.....294..... / सा0सु0को0, दिनांक.....10...../.....10...../2019

1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के धारा 72 के क्रियान्वयन हेतु गठित समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित। चलंत लोक अदालत के कार्यक्रम में समयानुसार भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

2. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. मधेपुरा जिला अन्तर्गत सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के पत्रकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वयं सेवी संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सचिव रेड क्रॉस सोसाईटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज / असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी मधेपुरा / श्रम अधीक्षक, मधेपुरा / जिला सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, मधेपुरा / कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल / पथ प्रमंडल / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधेपुरा / सर्व शिक्षा अभियान / जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी / सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा / सहायक निदेशक, जिला बाल सुरक्षा ईकाई, मधेपुरा / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा / जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा / जिला अभियंता जिला परिषद, मधेपुरा / जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा / जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा / जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी, मधेपुरा / जिला खेल कूद पदाधिकारी, मधेपुरा / जिला लोक शिथिलता निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा एवं नगर पंचायत मुस्लीगंज / जिला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, मधेपुरा / निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मधेपुरा / कारा अधीक्षक, मधेपुरा / उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा / भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज / प्रभारी पदाधिकारी, जिला लीड बैंक, मधेपुरा / जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मधेपुरा / जिला प्रबंधक, जीविका, मधेपुरा / जिला प्रबंधक, बुनियाद केन्द्र, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है, कि पत्र में वर्णित निदेशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना के पत्रांक-1071 / आ0 नि0 को0 दिनांक-27/09/2019 की छाया प्रति संलग्न का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
7. नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा एवं स्थापना उप सहमार्ता, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि पत्र में वर्णित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा से पर्याप्त समन्वय करेंगे।
8. सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पी0एल0 भी0 के भोलेनटीयरस के साथ चलंत न्यायालय की तैयारी हेतु बैठक के लिए समुचित कार्रवाई अपने स्तर से करने का कष्ट करें।
9. अपर समाहर्ता मधेपुरा / उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
10. पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ अनुरोध है कि अपर आयुक्त निःशक्तता, बिहार, पटना का पत्रांक-1071 दिनांक- 27/09/2019 के आलोक में राज्य आयुक्त, निःशक्तता, बिहार के लिए दिनांक- 15/10/2019 को 7:00 बजे पूर्वा0 से दिनांक- 18/10/2019 तक स्कॉट अंगरक्षक एवं होम सुरक्षा के साथ-साथ दिनांक- 18/10/2019 को 7:00 पूर्वा0 से अंतिम निष्पादन तक चलंत न्यायालय के स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुरुष कुल- 30 (तीस) एवं महिला बल कुल- 30 (तीस) की व्यवस्था करने का कष्ट करें।
11. जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधेपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
12. आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
13. निदेशक, दिव्यांगज सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
14. अपर आयुक्त, निःशक्तता, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


 10/10/19
 जिलाधिकारी,
 मधेपुरा।